

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-715/2004

रामपाल शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 31.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री कोई उपस्थित नहीं।

प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने इस अपील में अंतिम वरियता सूची दिनांक 21.06.2004 को चुनौती दी है। पूर्व में दिनांक 07.09.2021 के द्वारा इस अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी के अधिवक्ता ने No Insnttruction फीड किया था। जिस पर अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को सूचनार्थ नोटिस पेश किया गया। आज अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी की अदम हाजरी अदम पेरवी के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)